



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं. NCST/SER-1502/MP/480/2024-RO-BH (RU-I)

दिनांक: 09.07.2026

प्रमुख सचिव,
आयुष विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
संचालनालय आयुष, भू-तल, " घ " विंग,
सतपुडा भवन, भोपाल-462004, मध्य प्रदेश
ई-मेल: psayush@mp.gov.in
संपर्क सूत्र: 07552577151

आयुक्त,
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
संचालनालय आयुष, भू-तल, " घ " विंग,
सतपुडा भवन, भोपाल 462004 .
ई-मेल: dirayush@mp.gov.in
mp_dismh@yahoo.com

विषय: समूह 5 पैरामैडिकल भर्ती परीक्षा 2022 के अंतर्गत आयुर्वेद कम्पाउंडर के पद कोड 13 में रोस्टर के आधार पर आरक्षण गलती में सुधार करके अनुसूचित जनजाति वर्ग को 20% आरक्षण देने के संबंध में- श्री सुकमन बट्टी, ग्राम-सामरडोह, पो.-रातामाटी, तह.- हरई, जिला- छिंदवाडा (म.प्र.) का दिनांक 02.09.2024 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 06.02.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लेखित प्रकरण का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 22.07.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(पूर्णन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री सुकमन बट्टी,
ग्राम-सामरडोह, पो.-रातामाटी,
तह.- हरई, जिला- छिंदवाडा, मध्य प्रदेश
संपर्क सूत्र: 9981828601
ई-मेल: sukmanbatti@gmail.com
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।